

तल्लय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही (हजारीबाग)

वाद संख्या 45/22

धारा 144 दंड प्र० सं०

सुनीता देवी - बनाम - गोलू सिंह को०

तारीख

-: आदेश :-

अभियुक्ति

इस वाद में दिनांक 10/3/2022 को प्रथम पक्ष के आवेदन के आधार पर द्वितीय पक्ष को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। 60 दिन से अधिक की अवधि समाप्त हो चुकी है एवं विधि-व्यवस्था भंग होने जैसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।